राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

जयपुर, दिनांक 10.05.17

क्रमांक प.1(7)न्याय/2014

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः—भुसावर जिला भरतपुर एवं सपोटरा जिला करौली में नवसृजित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

सन्दर्भः—इस विभाग की समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 04.05.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 04.05.2017 में अंकित "भुसावर जिला भरतपुर एवं भीनमाल जिला करौली" के स्थान पर "भुसावर जिला भरतपुर एवं सपोटरा जिला करौली" पढा जावें।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय–5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर को भारत सरकार को भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत करने के लिये प्रस्ताव भिजवाने हेतु

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(7)न्याय/2014 जयपुर, दिनांक 4 MAY 2017

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः–भुसावर जिला भरतपुर एवं भीनमाल जिला करौली में नवसृजित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत।

सन्दर्भः–इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.05.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.05.2017 द्वारा भुसावर जिला भरतपुर एवं भीनमाल जिला करौली में नवसृजित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु निम्नलिखित पद, पद भरे जाने की तिथि से दिनांक 28.02.2018 तक सृजित करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क0सं0	नाम पद	पदों की संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1–1 पद)
2.	स्टेनोग्राफर	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1–1 पद)
3.	रीडर	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1–1 पद)
4.	कनिष्ठ लिपिक	14 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 7–7 पद)
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	18 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 9–9 पद)
	कुल	**38 पद**

उक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु प्रति न्यायालय के लिए नवीन आईटम्स हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती हैः–

क0सं0	आईटम्स	राशि (राशि लाख रूपये में)
1.	फर्नीचर	3.00
2.	टेलिफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3.	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
	कुल	**4.82**

उक्त न्यायालयों हेतु भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स बजट शीर्ष 2014–00–105–(03)–[00] (राज्य) में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

उक्त न्यायालयों के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्से की 60% राशि प्राप्त होने पर भूमि की उपलब्धता होने पर तखमीने सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर राशि स्वीकृत की जायेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 101701850 दिनांक 03.05.2017 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय–5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर को भारत सरकार को भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत करने के लिये प्रस्ताव भिजवाने हेतु

885
6/5/17

संयुक्त शासन सचिव

811
6/5/17